राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27 (302) ग्राविवि/ग्रुप–5/पीएमऐवाई/अभि./विसंगत आईटम/ 2016–17 जयपुर, दि. 12.07.2016

–:: बैठक कार्यवाही विवरण ::–

शासन सचिव, ग्रामीण विकास महोदय की अध्यक्षता में बीएसआर साफ्टवेयर दर विश्लेषण में विसगंत आईटमों के दर विश्लेषण एंव दिनांक/वर्षवार श्रम/ सामग्री/ उपकरण की बेसिक दर एवं दर अनुसूची (बीएसआर) का सृजन का साफ्टवेयर में प्रावधान आदि के सम्बन्ध में गठित उपसमिति की बैठक दिनांक 08.07.2016 को आहुत की गई है, जिसमें निम्न अधिकारियो ने भाग लिया है :–

1. श्री के.के. शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि), ग्रामीण विकास।
2. श्री मुकेश माहेशवरी, अधीक्षण अभियन्ता (प्रो), पंचायती राज।
3. श्री विजय चौधरी, अधीक्षण अभियन्ता, महात्मा गांधी नरेगा, ग्रामीण विकास।
4. श्री राजेश बंसल, अधिशाषी अभियन्ता, जिला परिषद टोक।
5. श्री अरविन्द सक्सेना, अधिशाषी अभियन्ता, महात्मा गांधी नरेगा, ग्रावि।
6. श्री लोकेश पूनिया, परियोजना अधिकारी (अभि.), ग्रामीण विकास।

बैठक में एजेण्डा वार प्रत्येक बिन्दु पर विस्तृत विचार–विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिये गये हैः–

बिन्दु संख्या–1 बीएसआर साफ्टवेयर में दर विश्लेषण की तरह दिनांक/वर्षवार श्रम/ सामग्री /उपकरण की बेसिक दर एवं दर अनुसूची (बीएसआर) का सृजन का प्रावधान करने तथा आफ लाईन की गई गणनाओं/ विवरण का परीक्षण बाबत चर्चा।

बीएसआर साफ्टवेयर में दर विश्लेषण की तरह दिनांक/वर्षवार श्रम/ सामग्री /उपकरण की बेसिक दर एवं दर अनुसूची (बीएसआर) का सृजन का प्रावधान करने तथा आफ लाईन की गई गणनाओं/ विवरण का अपेक्षित परीक्षण उपसमिति (दिनांक 12.05.2016) स्तर पर यथासमय नहीं हो पाने की स्थिति को गम्भीरता से लिया गया। बैठक में पुनः चर्चा उपरान्त शासन सचिव महोदय द्वारा यह कार्य श्री लोकेश पूनिया, परियोजना अधिकारी (अभि.) ग्रावि को 10 दिवस में करने हेतु निर्देश दिये गये।

बिन्दु संख्या–2 बीएसआर साफ्ट सामग्री सूची के आईटम संख्या 9.6 पत्थर की चाप, ईकाई घन मीटर के लिए जिलो द्वारा निर्धारित दर का अध्ययन/ परीक्षण।

अधीक्षण अभियन्ता (प्रो.), पराविे ने इस विषय में किसी तरह का विरोधाभास नहीं होने से सूचित किया है। (अ.शा. टीप दिनांक 27.06.2016) जिलों द्वारा निर्धारित दरों (विसंगत दर) के अध्ययन/परीक्षण रिपोर्ट अभी तक अप्राप्त रही है। बैठक में पुनः विस्तृत चर्चा उपरान्त **सामग्री सूची के आईटम संख्या 9.6 पत्थर की चाप, ईकाई घन मीटर के लिए** 2 जिले सिरोही एंव नागोर जिले द्वारा निर्धारित दर क्रमश रू0 5500/– एंव 5000/–प्रति घन मीटर को असंगत एवं गलत मानी गयी। इस सम्बन्ध में शासन

सचिव महोदय द्वारा सम्बधित जिलो के अधिशाषी अभियन्ताओं से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए बाजार सर्वे अनुसार समुचित/सुसंगत दर का निर्धारण करवाने के निर्देश दिये गये।

इसके साथ ही अधीक्षण अभियन्ता के अ.शा. टीप दिनांक 05.07.2016 के द्वारा प्रस्तावित बीएसआर सामग्री सूची एवं दर विश्लेषण के सम्बन्धित विवरण में प्रस्तावित निम्नानुसार संशोधन/परिवर्तन पर सहमति व्यक्त की गई।

1. सामग्री सूची के आईटम संख्या 9.6 में अकिंत सामग्री विवरण "पत्थर की चाप (Flacky Material) (3–4" Thick & Length, 1–2" width) ईकाई घन मीटर" के स्थान पर "**पत्थर की चीप** (Flacky Material (3–4" Thick & Length and width 1–2")" से परिवर्तन/संशोधन।
2. सामग्री सूची के आईटम संख्या 9.5 में अकिंत सामग्री विवरण "**पत्थर की चाप** (चोडाई 10–12", लम्बाई 2–3', मोटाई 2.5–3.5") ईकाई वर्ग मीटर" के स्थान पर **"जोधपुरी टाईप पत्थर की पट्टी/चाप/कातलों के टुकडें (लम्बाई 2–3', चोडाई 10–12" एंव मोटाई 2.5–3.5")** से परिवर्तन/संशोधन।
3. बीएसआर दर विश्लेषण के आईटम संख्या 151 की परिभाषा "जोधपुर पत्थर चापों का सीमेन्ट मसाला 1:3 में फर्श करना, ईकाई वर्ग मीटर" के स्थान पर **"जोधपुरी टाईप पत्थर की पट्टी/चाप/कातलो के टुकडे (लम्बाई 2–3', चोडाई 10–12" एंव मोटाई 2.5–3.5")** से परिवर्तन/संशोधन।

बिन्दु संख्या–3 साफ्टवेयर दर विश्लेषण में विसगंत आईटमों (परिवहन एंव इन्टरलोकिंग ब्लॉक) के दर विश्लेषण तैयार करने बाबत।

पूर्व में श्री अरविन्द सक्सेना, अधि.अभि. ईजीएस से प्राप्त(अ.शा. टीप दि. 20.06.2016) विवरण बीएसआर सॉफटवेयर के फॉरमेट में नही होने एवं तदनानुसार बीएसआर सॉफटवेयर में अपेक्षित संशोधन/परिवर्तन नहीं हो पाने की स्थिति में स्मरण पत्र दिनांक 26.06.2016 के उपरान्त भी विसंगत आईटम (परिवहन एंव इन्टरलोकिंग ब्लॉक) के समुचित/व्यवहारिक दर विश्लेषण निर्धारित बीएसआर सॉफटवेयर फॉरमेट में अप्राप्त रहे है।

अधी. अभि. के अ.शा. टीप दि. 27.06.16 के अनुसार इन आईटमों के ठीक/संशोधन/तैयार करने में चाहे गये समय एवं अनुरोध पर श्री लोकेश पूनिया, परि. अधि. एंव एम.आई.एस. मेनेजर को अपेक्षित सहयोग लेते हुए विभिन्न सामग्रियों के परिवहन व इन्टरलोकिंग ब्लॉक विसंगत आईटमों के समुचित/व्यवहारिक दर विश्लेषण दिनांक 20.07.2016 तक तैयार कर प्रस्तुत करने बाबत शासन सचिव महोदय द्वारा पुनः निर्देश दिये गये।

इस पर अधीक्षण अभियन्ता (प्रो.) परा द्वारा सुझाव दिया गया कि तैयार किये दर विश्लेषण से फलित दरों का जिलों द्वारा वर्तमान में काम में ली जा रही दरों से तुलना की जावें। शासन सचिव महोदय द्वारा उपसमिति से प्राप्त दर विश्लेषण के अनुसार गणित/फलित दर की जिलों द्वारा अपनायी जा रही पूर्व प्रकिया (पत्र कमांक– एफ–8 (1) ग्राविवि/जीकेएन/2007 दिनांक 30.10.2007 के साथ संलग्न दर विश्लेषण) से गणित/फलित दर से तुलना करने एवं तुलनात्मक विवरण अधीक्षण अभियन्ता (प्रो.) परा को प्रस्तुत करने हेतु बाबत सहायक अभियन्ता श्री ओ.पी. शर्मा को निर्देश दिये गये।

बिन्दु संख्या–4 विभाग द्वारा जारी पूर्व पत्र कमांक एफ 27(78)ग्रावि/ग्रुप–5/जीकेएन/दर विश्लेषण /2012–13 दिनांक 25 जून, 2013 के द्वारा लिए गये निर्णय एवं आदेश कमांक एफ 27(36)ग्रावि/ग्रुप–5/जीकेएन/ बीएसआरसॉफ्ट /2015–16 दिनांक 11.01.2016 द्वारा अनुमत की गई गतिविधि के दर विश्लेषण का परीक्षण कर

मिट्टी खुदाई कार्य मशीन (टेक्टर मय स्क्रेपर, जेसीबी एवं डोजर) से करवाये जाने हेतु समुचित दर विश्लेषण/विवरण आदि प्रस्तुत करने बाबत चर्चा।

श्री राजेश बंसल, अधि.अभि. जि.प. टोक एवं सदस्यों द्वारा प्रेषित परीक्षण रिपोर्ट एवं दर विश्लेषण विवरण पर गत् बैठक दिनांक 15.06.2016 में चर्चा के दौरान रिपोर्ट एवं दर विश्लेषण अपूर्ण, सुसंगत व फॉरमेट के अनुसार नही होने की स्थिति में पुनः मुल प्रकरण का परीक्षण करते हुए निर्धारित सॉफट फॉरमेट में दर विश्लेषण प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिये गये परन्तु वांछित दर विश्लेषण अप्राप्त रहे।

इसी कम अधी.अभि. (प्रो.) परावी से प्राप्त टीप दिनांक 05.07.2016 के द्वारा श्री राजेश बंसल, अधि.अभि. जि.प. टोक एवं सदस्यों द्वारा प्रेषित परीक्षण रिपोर्ट एवं दर विश्लेषण विवरण को तर्क संगत व बीएसआर सॉफ्ट हेतु योग्य मानते हुए जल ग्रहण विकास एवं भू सरंक्षण विभाग की टिप्पणी प्राप्त करने व प्रकरण में पुनः चर्चा प्रस्तावित की है।

इसी कम में बैठक दिनांक 29.06.2016 को पुनः चर्चा के दोरान दिये गये निर्देशो की पालना में उक्त रिपोर्ट (श्री राजेश बंसल, अधि.अभि. जि.प. टोक एवं सदस्यों द्वारा प्रेषित) पर जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग से भी सहमति/टिप्पणी दिनांक 05.07.2016 को प्राप्त कर ली गई है। प्राप्त रिपोर्ट/टिप्पणी के अनुसार पूर्व में प्रेषित अध्ययन/परीक्षण रिपोर्ट तर्क संगत नही होने व अपनी असहमति व्यक्त की है। साथ ही ट्रेक्टर मय स्क्रेपर से मिट्टी खुदाई के लिए पुर्व से अनुमादित (पत्र कमांक एफ 27(78)/ग्राविवि/जीकेएन/दर विश्लेषण/12—13 दि. 04.12.2013 के द्वारा स्वीकृत) दर विश्लेषण की प्रति भी संलग्न की है।

इसके साथ ही जेसीबी से मिट्टी खुदाई व बण्ड बनाने के आईटम के लिए विभागीय पूर्व पत्र दि. 25.06.2013 के साथ संलग्न जल संसाधन विभाग की बीएसआर दर विश्लेषण के एक मात्र आधार को बीएसआर सॉफटवेयर हेतु योग्य माना है।

इसके साथ ही कम्पेक्शन एवं वाटरिंग की दर मय विश्लेषण जल संसाधन विभाग की बीएसआर के कमशः आईटम संख्या 20 व 32 के दर विश्लेषण में से 10 प्रतिशत ठेकेदार लाभांश हटाकर बीएसआर सॉफटवेयर में पृथक से सम्मिलित करने का सुझाव दिया है, परन्तु सम्बधित आईटम का दर विश्लेषण/विवरण अप्राप्त है।

इस सम्बन्ध में शासन सचिव महोदय द्वारा अधीक्षण अभियन्ता (प्रो.), परावि एवं अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि) को जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग के आयुक्त एवं अभियन्ताओं के साथ विस्तृत चर्चा करने एवं टेक्टर मय स्क्रेपर, जेसीबी एवं डोजर से मिट्टी खुदाई कार्य तथा सम्बन्धित अन्य आईटमों के लिए समुचित/व्यवहारिक दर विश्लेषण सॉफटवेयर फॉरमेट में मय आधार के शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

बिन्दु संख्या—5 पक्के निर्माण कार्य के लिए अकुशल श्रमिकों के स्थान पर अर्द्धकुशल श्रमिकों का नियोजन एवं टास्क निर्धारण के कम में बीएसआर सॉफ्ट के दर विश्लेषण में किये गये परिवर्तन/संशोधन की जांच ।

दिनांक 08.06.2016 को ईमेल व संलग्न विवरण से प्राप्त परिवर्तित दर विश्लेषण के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की गई। पूर्व में निर्धारित/ वर्णित अकुशल श्रमिक व ईकाई कार्य के लिए अंकित श्रमिक संख्या (पूर्व से निर्धारित मात्रा) को विलोपित करते हुए इनके स्थान पर नवीन श्रमिक श्रेणी **"अर्द्धकुशल श्रमिक"** में परवर्तित किया गया है। इस सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता (प्रों.), परा ने अवगत कराया है कि जिन आईटमों/ कार्यो में कारीगर दक्ष (कुशल श्रमिक) का नियोजन किया हुआ है। केवल उन्ही आईटमों में अकुशल श्रमिको के स्थान पर अर्द्धकुशल श्रमिक लगाया गया है एवं अर्द्धकुशल श्रमिक के लिए मजदुरी दर अधिकतम रू0 300/— प्रतिदिन मानी गई है। बीएसआर सॉफटवेयर के

सम्बन्धित कार्य/आईटमों के ईकाई कार्य के लिए श्रमिक संख्या (मात्रा) नवीन तरीके (अर्द्धकुशल श्रमिक की दर 300/– व अकुशल श्रमिक की दर 197 /– के अनुसार समानुपातिक गणना) से निर्धारित/ गणना करते हुऐ बीएसआर साफ्टवेयर में जोडा जाना प्रस्तावित किया है। उनके द्वारा 61 आईटमों के नवीन दर विश्लेषण/विवरण तैयार किये है। जो कि अपूर्ण है।

इस सम्बन्ध में शासन सचिव महोदय द्वारा इन नवीन दर विश्लेषण/विवरण पुनः परीक्षण करने व अंतिम (फाईनल) सुसगत/व्यावहारिक दर विश्लेषण शीघ्र उपलब्ध कराने उपसमिति के सभी सदस्यों को निर्देशित किया गया।

अंत में बैठक सधन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गॉधी नरेगा, ग्रामीण विकास विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू सरक्षण विभाग, जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग।
6. अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि), ग्रामीण विकास।
7. अधीक्षण अभियन्ता (प्रो.), पंचायती राज।
8. अधीक्षण अभियन्ता (ईजीएस), महात्मा गॉधी नरेगा, ग्रामीण विकास।
9. संयुक्त निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू सरक्षण विभाग, जयपुर।
10. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, (मो. एवं मू.), ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने बाबत।
11. श्री मुकेश माहेश्वरी, अधीक्षण अभियन्ता (प्रो.), पंरावि।
12. श्री विजय चौधरी, अधीक्षण अभियन्ता, महात्मा गांधी नरेगा।
13. श्री अरविंद सक्सेना, अधिशाषी अभियन्ता, महात्मा गांधी नरेगा।
14. श्री भास्कर दत्त त्रिपाठी, अधिशाषी अभियन्ता, ग्रावि।
15. श्री राजेश बंसल, अधिशाषी अभियन्ता, जिला परिषद् टोंक।
16. श्री लोकेश पूनिया, परियोजना अधिकारी (अभि.), ग्रामीण विकास।
17. सहायक प्रौग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग, को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने बाबत।
18. रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)